

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

मांक रीडर/2023/168

दिनांक - 10/11/2023

प्रार्थीगण
1 वीराराम 2 चुनाराम पिसरान
नखताराम 3 गंगा पत्नी नखताराम
जाति मेघवाल निवासी भाड़खा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 भमरे खां 2 हाजी रहमान पिसरान जुमे खां
जाति मुसलमान 3 हुकमाराम पुत्र हीराराम जाति
जाट 4 हेमाराम 5 मांगाराम 6 ताराराम पिसरान
कानजीराम जाति गर्ग निवासी भाड़खा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 202/2022

दिनांक- 11/11/2023

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 506/350 रकबा 15.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर
दिनांक- 10/11/2023

क्रमांक :- रीडर/2023/169-72

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. वीराराम पुत्र नखताराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भमरे खां पुत्र जुम्मे खां वगैराह जाति मुसलमान निवासी भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर